बिहार विधान सभा: इतिहास के पन्नों से

बिहार के इतिहास में 12 दिसम्बर, 1911 ई0 मील का पत्थर के रूप में चिन्हित है। इस तिथि को आयोजित दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट ने भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से स्थानान्तरित करते हुए दिल्ली लाने की घोषणा के साथ-साथ कोई तिथि निर्धारित कर बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग कर गवर्नर-इन-कौंसिल के शासन वाला प्रान्त बनाने की घोषणा की थी।

22 मार्च, 1912 ई0 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नये राज्य का गठन किया गया। इसके अन्तर्गत भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया एवं भागलपुर प्रमंडल के संथाल परगना के साथ-साथ सम्पूर्ण पटना, तिरहुत, छोटानागपुर एवं उड़ीसा प्रमंडल को शामिल किया गया।

बिहार एवं उड़ीसा राज्यों के गठन संबंधी उद्घोषणा दिनांक 1 अप्रैल, 1912 के प्रभाव से लागू हुआ। सर चार्ल्स स्टूवर्ट बेले, के.सी.एस.आई. इस राज्य के प्रथम उप राज्यपाल नियुक्त किये गये।

संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना सन् 1913 ई0 में हुई । इसके लिए 43 सदस्यीय विधायी परिषद् का गठन किया गया, जिसमें 24 निर्वाचित एवं 19 मनोनीत सदस्य थे। इसकी प्रथम बैठक दिनांक 20 जनवरी, 1913 ई0 को बांकीपुर स्थित कौंसिल चैम्बर में उप राज्यपाल श्री बेले की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

दिनांक 29 दिसम्बर, 1920 ई0 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रान्त बनने का गौरव प्राप्त हुआ। महामहिम माननीय रायपुरवासी श्री सत्येन्द्र प्रसन्नो (बैरॉन) सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किये गये।

राज्यपाल के शासन वाला प्रान्त बनने के तुरन्त बाद लेजिस्लेटिव कौंसिल के गठन में भी संशोधन किया गया, जिसके अनुसार कुल सदस्यों की संख्या 103 निर्धारित की गई । 103 सदस्यीय कौंसिल में 76 निर्वाचित एवं 27 राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य थे ।

मार्च, 1920 ई0 में लेजिस्लेटिव कौंसिल का भवन का निर्माण शुरू हुआ और उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया । इस भवन में कौंसिल की प्रथम बैठक दिनांक 7 फरवरी, 1921 ई0 को सर मुडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई । यह भवन आज बिहार विधान सभा के रूप में विद्यमान है ।

बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अन्तिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड सिफ्टॉन हुए ।

सन् 1935 ई0 में बिहार विधान परिषद् भवन का निर्माण हुआ था ।

दिनांक 1 अप्रील, 1936 ई0 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुआ एवं दोनो पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आये ।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1935 में निहित प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रील, 1937 ई0 को प्रान्तीय स्वायतत्ता का श्रीगणेश हुआ, जिसके क्रम में प्रान्तों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरूआत हुई । इस व्यवस्था के अन्तर्गत बिहार में विधान सभा तथा विधान परिषद् प्रस्थापित किया गया । इस बदले हुए द्विसदनीय व्यवस्था में बिहार विधान सभा की क्षमता 152 थी । इन सदस्यों का उपर्युक्त अधिनियम की पांचवी एवं छठी अनुसूची में उल्लिखित मताधिकार प्राप्ति की योग्यता से पूरित क्षेत्रीय तथा विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्षत: निर्वाचित होता था।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप 22-29 जनवरी, 1937 ई0 की अवधि में बिहार विधान सभा के चुनाव सम्पन्न हुए । दिनांक 20 जुलाई, 1937 ई0 को डॉ0 श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई । दिनांक 22 जुलाई,1937 ई0 को विधान मंडल का अधिवेशन हुआ ।

सन् 1939 ई0 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरूआत हुई जिसमें तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता ने भारत की सहमति लिये बिना ही भारतीयों को इसमें झोंक दिया । इसके विरोधस्वरूप दिनांक 31 अक्टूबर, 1939 ई0 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डा0 श्रीकृष्ण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधान सभा विघटित कर दी गई

। नवम्बर, 1939 ई0 से 1945 ई0 तक बिहार विधान सभा विघटित रही । सन् 1946 ई0 में एक बार कांग्रेस ने पुनः सत्ता की बागडोर संभाली ।

भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप सन् 1952 ई0 तथा 1957 ई0 में क्रमशः पहले एवं दूसरे आम चुनाव सम्पन्न हुए । सन् 1952 ई0 को सम्नन्न्न हुए चुनाव में बिहार विधान सभा के 330 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचिन हुआ तथा एक सदस्य अलग से मनोनीत किये गये ।

राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर बिहार की सीमा में परिवर्तन हुआ । बिहार यथा पश्चिम बंगाल (क्षेत्रों का अन्तरण) अधिनियम, 1956 में निहित प्रावधानों के कारण दिनांक 01 नवम्बर, 1956 ई0 को बिहार की कुल 3166 वर्ग मील भूमि तथा 14,46,385 की आबादी बंगाल को अन्तरित कर दी गई । परिणामस्वरूप बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटकर 318 हो गई तथा एक अन्य सदस्य मनोनीत होते थे, जिन्हें मिलाकर बिहार विधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 319 रह गई ।

सन् 1962 ई0 1967 ई0, 1969 ई0 एवं 1972 ई0 तक हुए क्रमशः तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम् बिहार विधान सभा के चुनावों तक इसके सदस्यों की संख्या 318+1=319 ही रही । सन् 1977 ई0 में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में बिहार विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 से बढ़कर 324 हो गई तथा एक मनोनीत सदस्य पूर्ववत रहे । इस प्रकार बिहार विधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 325 हो गई।

दिनांक 15 नवम्बर, 2000 ई0 को द्वादश बिहार विधान सभा काल में बिहार विभाजन हुआ एवं पृथक झारखण्ड राज्य का गठन हुआ । फलस्वरूप बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित कुल 324 सदस्यों में से 81 सदस्य एवं एक मनोनीत सदस्य अर्थात् कुल 82 सदस्य दिनांक 15.11.2000 ई0 के बाद से झारखण्ड विधान सभा के सदस्य हो गये । इस प्रकार बिहार विधान सभा में कुल 243 सदस्य ही शेष रह गए, जो अब तक इसी स्वरूप में है ।